UPJS010031222025

न्यायालय विशेष न्यायाधीश अनु.जाति और अनु. जनजाति (अत्याचार निवारण)अधिनियम,झांसी।

उपस्थितः- नेत्रपाल सिंह (एच०जे०एस०)

(JO CODE-UP6348)

प्रकीर्ण सिविल वाद सं- 129/ 2025

विनोद कुमार जैन आदि **बनाम** रमेश कुमार शर्मा आदि

दिनांक- 11. 08. 2026

निस्तारण प्रार्थनापत्र 17C2 अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम

1- पत्रावली आवेदकगण विनोद कुमार जैन आदि की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 17C2 अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम एवं आपत्ति 19C2 के निस्तारण हेतु पेश हुयी। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्को को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

2- आवेदकगण विनोद कुमार जैन आदि की ओर से प्रार्थनापत्र 17C2 अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि - उक्त प्रकरण प्रार्थीगण द्वारा विविध वाद संख्या 56/ 2022 में पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 02. 04. 2025 के विरूद्ध रिवीजन के रूप् मे दायर किया गया है। विविध वाद सं - 56/ 2022 का शीर्षक अन्तर्गत आदेश 22 नियम 10 सी. पी. सी अंकित है परन्तु आलोच्य आदेश की प्रकृति रिवीजन योग्य आदेश की दिखने के कारण प्रार्थीगण के द्वारा त्रुटिवश उक्त आदेश के विरूद्ध सिविल रिवीजन दिनांक 29. 05. 2025 को दायर कर दिया गया। दौरान सुनवाई प्रार्थीगण को यह इल्म हो सका कि आलोच्य आदेश की अपील 30 दिन के अन्दर की जानी चाहिये थी। इस तरह प्रस्तुत अपील में जो 27 दिन की देरी हुई है, उसे माफ किया जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण द्वारा जानबूझकर कोई देरी अपील प्रस्तुत करने में नही की गयी है। यदि प्रस्तुत अपील की सुनवाई नही होती है तो प्रार्थीगण को सख्त हकतलफी होगी, जिसकी पूर्ति भविष्य में होना सम्भव नही है। उक्त आधार पर प्रार्थनापत्र 17C2 अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम स्वीकार किए जाने की याचना की गयी है। प्रार्थनापत्र शपथपत्र से समर्थित किया गया है ,जिसमें प्रार्थनापत्र के कथनों की पुनरावृत्ति की गयी है।

3- विपक्षीगण की ओर से आपत्ति 19C2 प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि - वर्तमान प्रार्थना पत्र एवं अपील याचीगण की ओर से प्रस्तुत किये जाने के कोई अधिकार जैसा कि अधोवर्णित तथ्यों से स्पष्ट है, उन्हे प्राप्त नही है एवं न ही इस हेतु वह दीवानी प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत पात्र है एवं प्रार्थना पत्र स्वतः अवधारण योग्य ना होने के कारण निरस्त करने योग्य है। तथ्यात्मक स्थिति जैसा कि स्वयं याचीगण की ओर से विचारण न्यायालय में प्रस्तुत मूल प्रार्थना पत्र 3C एवं उसके साथ प्रस्तुत किये गये कागज सं० 9C, 10 C, 11C से स्पष्ट है कि मूल रूप में स्थानीय विचारण न्यायालय में प्रस्तुत मूल वाद संख्या 299/ 1982 गुलपोपट एवं उनकी बहन एवं भाई के द्वारा आपत्तिकर्तागण के दिवंगत पिता के विरूद्ध दायर किया गया है, जो दिनांक 30. 07. 1983 को दिवंगत श्री रमेश कुमार शर्मा के विरूद्ध डिक्री किया गया। इस निर्णय दिनांक 30. 07. 1983 के विरूद्ध प्रस्तुत प्रथम अपील सं० 154/ 1983 रमेश कुमार शर्मा बनाम गुलपोपट आदि भी दिनांक 18. 10. 1988 को न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई, जिसके विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत द्वितीय अपील सं० 176/ 1989 रमेश कुमार शर्मा बनाम गुलपोपट आदि दिनांक 25. 05. 2011 को माननीय उच्च न्यायालय ने स्वीकार करते हुए मूल प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित कर दिया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 25. 05. 2011 से क्षुब्ध होकर मूलवादीजन गुलपोपट आदि की ओर से ही पुर्न विचार याचिका सं० 178479/ 2011 प्रस्तुत की गयी जो दिनांक 02. 08. 2021 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई। जबकि दिनांक 04. 10. 1999 को सम्पत्ति मूलवादी जन अंतरित किये जाने के उपरान्त उनका कोई हित प्रश्नगत सम्पत्ति में अस्तित्व में नहीं था।

Digitally signed by NETRA PAL SINGH
Date: 2026.08.11 17:43:24 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

यहाँ तथ्य भी उल्लेखनीय एवं महत्वपूर्ण है कि अपीलार्थी/ याचीगण द्वारा जैसा कि प्रस्तर- 07 मूल प्रार्थना पत्र 3C2 में भी उनकी स्वीकृति है कि प्रश्नगत सम्पत्ति दिनांक 04. 10. 1999 यानि द्वितीय अपील के लम्बन काल में ही मूलवाद जन से पंजीकृत विक्रय विलेख के आधार पर उनके द्वारा क्रय कर ली गई थी। परन्तु इस संबंध में वर्ष 1999 से 2022 तक यानि 23 वर्ष की अवधि के मध्य किसी प्रकार के कोई अधिकार मूल वादी जन में सम्पत्ति के संबंध में निहित नहीं रहे तथा अपीलार्थी / आवेदकगण के द्वारा भी किसी प्रकार का कोई प्रार्थना पत्र प्रकरण से संबंधित सम्पत्ति को क्रय किये जाने के बावजूद कोई आवेदन किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया एवं न ही न्यायालय के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया। माननीय उच्च न्यायालय में स्वयं याचीगण विक्रेतागण की ओर से द्वितीय अपील / पुनर्विचार याचिका से सम्बन्धित सभी प्रपत्रों एवं शपथ पत्र में बतौर पेरोकार हस्ताक्षर भी किये गये। माननीय उच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका भी प्रस्तुत किये जाने की तिथि पर भी मूलवादीजन की ओर से सम्पत्ति में कोई अधिकार निहित न होने के बावजूद माननीय उच्च न्यायालय में मूलवादीजन द्वारा याचिका प्रस्तुत की गयी एवं जब यह याचिका मूल वादी जन के विरूद्ध तय कर दी गयी तब आवेदक/ अपीलार्थीगण द्वारा अचानक स्वयं की ओर से माननीय उच्चतम न्यायालय में एसएलपी नं० (Civil) Dary No (s) 439/ 2022 विनोद कुमार जैन आदि बनाम गुलपोपट आदि प्रस्तुत की गयी, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण/ आवेदकगण की ओर से एसएलपी प्रस्तुत किये जाने की सक्षमता/ अधिकार क्षेत्र (Locos Standi) का प्रश्न एवं चलनसारिता का प्रश्नवाचक चिन्ह लगाये जाने के उपरान्त आवेदक जन द्वारा उक्त एसएलपी स्वयं दिनांक 11. 02. 2022 को वापिस ले ली गई। आपीलार्थी/ याचीगण द्वारा वर्ष 1999 में प्रश्नगत सम्पत्ति क्रय करने के पश्चात किसी प्रकार का कोई प्रार्थना - पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 10 मूलवादीजन के स्थान पर स्वयं को प्रतिस्थापित करने हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय तक मुकदमा लड़े जाने के बावजूद सत्यता को छिपाते हुये किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया। वर्तमान में भी आलोच्य आदेश जिस प्रक्रीर्ण प्रकरण में पारित हुआ है, में भी किसी प्रकार की कोई प्रतिकार प्रार्थना स्वयं को प्रतिस्थापित करने हेतु आदेश 22 नियम 10 सी०पी०सी० के अंतर्गत नहीं की गयी। मात्र मूल पत्रावली मूलवाद सं299/ 1982 को तलब करने की ही प्रार्थना की गई है। वर्तमान अपील जिसे पूर्व में रिविजन के रूप में प्रस्तुत किया गया, की ग्राह्यता के बिन्दु पर आपत्तियां प्रस्तुत किये जाने के पश्चात सुनवाई की तिथि पर पुनरीक्षणकर्ता / वर्तमान आवेदक की ओर से आपत्तियों के विरूद्ध प्रतिआपत्तियां प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा गया एवं इन प्रतिआपत्तियों में स्वयं पुनरीक्षणकर्तागण के द्वारा यह स्वीकारोक्ति की गई कि आदेश 22 नियम 10 दीवानी प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रश्नगत आदेश पारित किया गया है व उक्त आदेश के विरूद्ध विधि अनुसार पुनरीक्षण याचिका ही प्रस्तुत किये जाने के योग्य है व इस आलोक में उत्तरदाता की आपत्तियां विधि विरूद्ध है निरस्त होने योग्य है। उक्त स्वीकारोक्ती के आलोक में प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम में उल्लेखित तथ्यों को विधि अनुसार बिलम्ब को क्षमा करने हेतु पर्याप्त एवं समुचित कारण माने जाने योग्य नही है व प्रार्थना पत्र प्रत्येक दशा में निरस्त होने योग्य है। याचीगण को किसी प्रकार का सम्बन्धित अलोच्य आदेश की अपील मय देरी माफी प्रार्थना प्रस्तुत करने का अधिकार नही है। सभी प्रकार के प्रार्थना पत्र, अपील / रिवीजन इत्यादि विधि अनुसार प्रकरण के पक्षकार ही प्रस्तुत करने के पात्र होते है। आवेदक/ अपीलर्थीगण मूलवाद / प्रथम अपील / द्वितीय अपील / पुनर्विचार याचिका में किसी भी स्तर पर पक्षकार नही रहे है ना ही पक्षकार के तौर पर वह प्रतिस्थापित किये गये है एवं ना ही विचारण न्यायायल में किसी प्रकार का कोई प्रतिस्थापना प्रार्थना - पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 10 सी. पी. सी में प्रस्तुत किया गया है। बल्कि इसके विपरीत प्रार्थना पत्र 3C के प्रस्तर 8 में That,

Applicants Will Move Impledment Application in Suit NO 299/ 1982 In Accordance With Law जैसा उल्लेख कर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली गई एवं इस आधार पर प्रार्थना पत्र सक्षम व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत न किये जाने के कारण चलनसार नही है। प्रत्येक दशा में प्रार्थना धारा 5 म्याद अधिनियम किन्हीं भी परिस्थितियों में समुचित / पर्याप्त कारण एवं आवेदकगण की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार ना होने के आधार पर निरस्त होने योग्य है। उक्त आधार पर प्रार्थनापत्र बावत देरी माफी निरस्त किए जाने की याचना की गयी है।

4- **आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता श्री सौरभ गुप्ता एवं विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री रोहित गुप्ता के तर्को को सुना व पत्रावली का सम्यक रूप से परिशीलन व अवलोकन किया गया।**

5- प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थीगण की ओर से पूर्व में भूलवश यह सिविल रिवीजन योजित किया गया था। सिविल रिवीजन योजित करने की कालावधि 90 दिन है। आक्षेपित आदेश दिनांक 02. 04. 2025 को पारित किया गया है तथा प्रार्थीगण की ओर से सिविल निगरानी दिनांक 29. 05. 2025 को ही प्रस्तुत कर दिया गया है। प्रार्थीगण ने पुनरीक्षण योजित करने में कोई विलम्ब कारित नही किया था। सुनवायी के दौरान उन्हें इस तथ्य का पता चला कि प्रकरण में अपील योजित की जानी चाहिए तथा उनके द्वारा पुनरीक्षण याचिका को अपील मैमो में परिवर्तित करने के लिए प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा दिनांक 11. 08. 2025 को स्वीकार करते हुये प्रार्थीगण को निगरानी को सिविल अपील में परिवर्तित करने की अनुमति प्रदान की गयी। प्रार्थीगण ने जानबूझ कर कोई विलम्ब नही किया है बल्कि त्रुटिवश इस भ्रम में कि मामलें में सिविल पुनरीक्षण योजित किया जाना है, अपील प्रस्तुत करने में 27 दिन का विलम्ब हुआ है। यदि विलम्ब माफ नही किया गया तो प्रार्थीगण न्याय प्राप्त करने से वंचित हो जायेगे। विपक्षीगण की ओर से जो भी आपत्ति 19C2 प्रस्तुत की गयी है वह मामले के गुण दोष से संबंधित है। धारा 5 म्याद अधिनियम में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के निस्तारण के समय न्यायालय को केवल यह देखना है कि विलम्ब माफी हेतु पर्याप्त आधार उपलब्ध है या नही तथा मामले के गुण दोष पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा अनेक मामलों में विधिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि विलम्ब माफी के मामलों में न्यायालय को नरम रूख रखना चाहिए तथा अत्यंत तकनीकी आधार पर किसी भी व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखने से वंचित नही किया जाना चाहिए। मामलों का निस्तारण तकनीकी आधार पर करने की बजाए पक्षकारों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देते हुए गुण दोष के आधार पर किया जाना चाहिए। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम में विलम्ब माफी हेतु पर्याप्त कारण उल्लिखित किये है। प्रार्थनापत्र के समर्थन में शपथपत्र पेश किया गया है। अतः प्रार्थनापत्र में वर्णित कथनों के आधार पर विलम्ब माफ कर सिविल अपील योजित करने की अनुमति दिये जाने की याचना की गयी है।

6- उपरोक्त तर्को के खण्डन में विपक्षीगण की ओर से कहा गया है कि प्रार्थीगण विनोद कुमार जैन आदि बिना किसी आधार के विपक्षीगण को तंग व परेशान करने के आशय से जो मुकदमा माननीय उच्चतम न्यायालय तक निर्णीत हो चुका है, उसे पुनः चलाना चाहते है जबकि प्रश्नगत सम्पत्ति में उनका किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार नही है। प्रार्थीगण ने जानबूझकर सिविल अपील के स्थान पर सिविल निगरानी योजित की ताकि वह प्रार्थनापत्र में विलम्ब माफी हेतु यह आधार ले सके। विलम्ब माफी हेतु याचिकाकर्ता को दिन - प्रतिदिन के विलम्ब के संबंध में स्पष्टीकरण देना आवश्यक है तथा प्रार्थनापत्र में विलम्ब हेतु पर्याप्त एवं युक्तियुक्त कारण उल्लिखित किया जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण ने

प्रार्थनापत्र 17C2 अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम में विलम्ब माफी का कोई भी पर्याप्त कारण उल्लिखित नही किया है। प्रार्थनापत्र पूर्णतः आधारहीन एवं बलहीन है, निरस्त किये जाने योग्य है, निरस्त किया जाये।

7- उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्को को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की ओर से न्यायालय अपर सिविल जज (जू. डि.) न्यायालय संख्या 5, झांसी द्वारा प्रकीर्ण वाद संख्या 56/ 2022 विनोद कुमार जैन आदि बनाम रमेश कुमार शर्मा आदि में पारित आदेश दिनांकित 02. 04. 2025 के विरूद्ध पूर्व में यह सिविल निगरानी दिनांक 29. 05. 2025 को योजित की गयी है। विपक्षीगण द्वारा आपत्ति करने पर न्यायालय माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झांसी द्वारा दिनांक 11. 08. 2025 को प्रार्थीगण की योजित की गयी निगरानी को अपील के रूप में परिवर्तित करने की अनुमति दी गयी है तथा न्यायालय के आदेश के अनुपालन में प्रार्थीगण द्वारा पुनरीक्षण को अपील में परिवर्तित करने के संबंध में संशोधन किया गया है। प्रार्थीगण की ओर से कहा गया है कि त्रुटिवश प्रस्तुत मामले में विहित समयावधि में सिविल निगरानी योजित की गयी परन्तु सुनवायी के दौरान विपक्षीगण द्वारा आपत्ति किये जाने पर जब यह तथ्य संज्ञान में आया कि मामले में अपील पोषणीय है तो न्यायालय के आदेश के अनुपालन में पुनरीक्षण को अपील में संशोधित किया गया है। निगरानी योजित करने के लिए विहित कालावधि 90 दिन है तथा यह पुनरीक्षण आदेश दिनांक 02. 04. 2025 के बाद दिनांक 29. 05. 2025 को दो माह से कम अवधि में ही योजित कर दिया गया है। किसी भी अधिवक्ता की त्रुटि के लिये पक्षकारों को संकट में नही डाला जा सकता है। प्रार्थनापत्र के समर्थन में शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है तथा पत्रावली पर निगरानी याचिका में अपील मैमो में संशोधन करने से संबंधित आदेश व संशोधन के आधार पर स्पष्ट है कि पूर्व में यह निगरानी ही योजित की गयी थी, जिसे संशोधन के माध्यम से अपील मैमो के रूप में परिवर्तित किया गया है।

8. माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा अनेक मामलों में विधिक सिद्धांत प्रतिपादित किये है कि धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थनापत्र को स्वीकार करते हुए विलम्ब माफी के मामले में न्यायालय को अत्यंत तकनीकी रूख नही अपनाना चाहिए तथा नरम रूख रखते हुए यदि विलम्ब हेतु पर्याप्त कारण उल्लिखित किया गया है तो विलम्ब माफ किया जाना चाहिए। माननीय न्यायालय द्वारा यह अभिमत भी दिया गया है कि सिविल मामलों का निस्तारण तकनीकी आधार पर करने की बजाए पक्षकारों को अपनी बात न्यायालय के समक्ष रखने का पर्याप्त अवसर देते हुए गुण दोष पर किया जाना चाहिए। प्रस्तुत मामले में जो भी विलम्ब हुआ है वह अधिवक्ता की त्रुटि के कारण अपील पोषणीय होते हुए भी निगरानी योजित करने के आधार पर हुआ है। विलम्ब 27 दिन का है, जिसका युक्तियुक्त एवं पर्याप्त कारण प्रार्थनापत्र में उल्लिखित किया गया है। प्रार्थीगण की ओर से समर्थन में शपथपत्र पेश किया गया है। यदि प्रार्थीगण का विलम्ब माफ करते हुये अपनी बात न्यायालय के समक्ष रखने का अवसर प्रदान नही किया गया तो वह न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखने से तकनीकी आधार पर वंचित हो जायेगें जबकि कानून व न्याय की मंशा ऐसी नही है।अतः मामले के सम्पूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियो पर विचार करने के उपरान्त प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 17C2 अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है तथा आपत्ति 19C2 तदनुसार निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थीगण विनोद कुमार जैन आदि की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 17C2 अन्तर्गत धारा 5

म्याद अधिनियम मुबलिग 1000/ - (एक हजार रूपये) हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण को हर्जे की धनराशि अदा करने की शर्त पर अपील योजित करने में हुये विलम्ब को धारा 5 म्याद अधिनियम में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माफ किया जाता है। सिविल अपील की पोषणीयता एवं ग्राहयता के बिन्दु पर सुनवायी हेतु पत्रावली माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश ,झांसी के समक्ष दिनांक 10. 09. 2026 को पेश हो। अपील की ग्राहयता एवं पोषणीयता के बिन्दु पर सुनवायी हेतु उभयपक्ष नियत तिथि को माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश ,झांसी के न्यायालय में हाजिर हो। संबंधित लिपिकगण सुनवायी हेतु पत्रावली को अविलम्ब माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश ,झांसी के न्यायालय में भेजना सुनिश्चित करे।

दिनांक-11.08.2026

(नेत्रपाल सिंह)
अपर जिला जज/ विशेष न्यायाधीश,
एस. सी/ एस. टी एक्ट ,झांसी।